न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर जिला चूरू
पीठासीन अधिकारी – दिव्या (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 102/2025
यादराम बनाम हेतराम आदि
निर्णय दिनांक :– 16/05/2025

यादराम पुत्र स्व. हरलाल जाति गोस्वामी उम्र 62 वर्ष निवासी ढ़ाणी जीवणपुरी तहसील राजगढ़ हाल निवासी भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चूरू राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. हेतराम पुत्र हरलाल जाति गोस्वामी निवासी ढ़ाणी जीवणपुरी तहसील राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान।
2. मु. बसन्ती देवी पत्नी स्व. गोपालराम जाति गोस्वामी निवासी ढ़ाणी जीवणपुरी तहसील राजगढ़ जिला चूरू हाल निवासीनी भारती भवन, आई.सी.आई.सी. बैंक के पीछे, शर्मा मार्केट, नोहर जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. शिशराम पुत्र स्व. गोपालराम जाति गोस्वामी निवासी ढ़ाणी जीवणपुरी तहसील राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान।
4. शकुंतला पुत्री स्व. गोपालराम पत्नी राजुराम
5. सुमित्रा पुत्री स्व. गोपालराम पत्नी बाबुलाल

   } जाति गोस्वामी निवासीगण भारती भवन, आई. सी.आई.सी. बैंक के पिछे, शर्मा मार्केट, नोहर जिला हनुमानगढ राजस्थान।

6. मु. बिमला पत्नी बलराज
7. कशिश पुत्र बलराम
8. दीपक पुत्र बलराम

   } जाति गोस्वामी निवासी ढ़ाणी जीवणपुरी तहसील राजगढ़ हाल निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

9. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरदारशहर जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भानीपुरा जिला चूरू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत प्राप्त करने डिक्री घोषणात्मक एवं दुरूस्ती राजस्व नक्शा एवं अभिलेख। हर प्रकार के प्रमाणों के आधार पर। हस्ब दफा 88, 92ए रा. का. अधि. 1955 सहपठित धारा 131, 136 रा. भू–रा.अधि. 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गोपाल कृष्ण सिहाग विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से।
2. श्री अजय कुमार सारण विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 की ओर से।
3. एकपक्षीय कार्यवाही वास्ते प्रतिवादी सं. 9
4. प्रतिवादी सं. 10 की ओर से तहसीलदार भानीपुरा जिला चूरू राजस्थान।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील क्षेत्र भानीपुरा की रोही मौजा भोजासर बड़ा में स्थित कृषि भूमि गत ख.नं. 159 तादादी 36.16 बीघा वादी व प्रतिवादी सं. 01 के पिता तथा प्रतिवादी सं. 02 के ससुर तथा प्रतिवादीगण सं. 03 ता 05 के दादा तथा प्रतिवादी सं. 06 के दादससुर एवं प्रतिवादीगण सं. 07 ता 08 के पड़दादाजी हरलाल वल्द सेडूपूरी जाति गोस्वामी साकिन ढ़ाणी जीवणपुरी तहसील राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान की तन्हा खातेदारी, कब्जा, काश्त की कृषि भूमि रही है। वादी के पिता के स्वर्गवासी होने पर वादगत कृषि भूमि की विरास्तन खातेदारी वादी एवं वादी के भाईयों प्रतिवादी सं. 01 व स्व. गोपालराम तथा वादी की बहिनों रूकमा, सज्जना, रेशमी तथा वादी की माता मु. सुगनी के हक में विरास्तन इ. सं. 375 दिनांक 05.09.2012 को तस्दीक होने पर राजस्व अभिलेखो में खातेदारी ब.हि.ब. अभिलेखित की गई। वादगत कृषि भूमि गत ख.नं. 159 तादादी 36.16 बीघा में से वादी की माता एवं वादी की तीनों बहिनों ने अपने–अपने हिस्से का हक परित्याग वादी एवं वादी के दोनों भाईयों प्रतिवादी सं. 01 एवं स्व. गोपालराम के हक में पंजीकृत करवा देने पर इ.सं. 1403 दिनांक 05.11.2012 को तस्दीक होने पर वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमि की खातेदारी वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

प्रतिवादी सं. 01 तथा वादी के स्वर्गीय भाई गोपालराम के हक में व.हि.व. राजस्व अभिलेखों में अभिलेखित की गई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 तथा वादी के सगे भाई तथा प्रतिवादी सं. 02 ता 08 के पूर्वज स्व. गोपालराम ने आपसी सहमति से वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमि गत ख.नं. 159 तादादी 36.16 बीघा के खाता एवं लगान का विभाजन मौके की कब्जा काश्त के मुताबिक कर लिया। वादी के भाईयो स्व. गोपालराम एवं प्रतिवादी सं. 01 की पांति में मौजा ढ़ाणी जीवणपूरी में स्थित कृषि भूमियों में से आपसी सहमति से विभाजन में अधिक भूमि पांति आने पर वादी के हक में वादगत कृषि भूमि गत ख.नं. 159 तादादी 36.16 बीघा के विभाजन से कायम गत ख.नं. 989/159 तादादी 18.06 बीघा वादी के पांति में आई तथा गत ख.नं. 159 से कायम गत ख.नं. 990/159 तादादी 05.05 बीघा प्रतिवादी सं. 01 के पांति में आई तथा प्रतिवादी सं. 02 ता 08 के पूर्वज स्व. गोपालराम की पांति में गत ख.नं. 159 से कायम गत ख.नं. 991/159 तादादी 13.05 बीघा भूमि पांति में आई। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 उपर्युक्त अंतिम बंटवारा के मुताबिक ही मौके पर काबिज होकर अपनी–अपनी पांति की भूमि को खाता विभाजन से तस्दीक इ.सं. 1490 दिनांक 07.06.2013 की रूह से दर्ज खातेदारी के मुताबिक अपनी–अपनी हिस्सा भूमियों को काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 के मध्य खाता विभाजन आदेश से तस्दीक इ.सं. 1490 दिनांक 07.06.2013 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में अभिलेखित रकबा से मुतलिक कोई विवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 तथा वादी के सगे भाई स्व. गोपालराम द्वारा किये गये अंतिम बंटवारा के मुताबिक राजस्व अभिलेखो में रकबा सही अंकित किया गया है। लेकिन गत ख.नं. 159 तादादी 36.16 बीघा वाके रोही मौजा भोजासर बड़ा के नक्शा किश्तवार में हल्का पटवारी द्वारा इ.सं. 1490 दिनांक 07.06.2013 की पुश्त पर रकबा बंटवारा के मुताबिक सही अंकित किया गया। लेकिन इ.सं. 1490 की पुश्त पर मुर्तिब नक्शा में तरमीम मौके की कब्जा काश्त एवं बंटवारा के मुताबिक नहीं करके तरमीम गलत कर दी गई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 तथा स्व. गोपालराम द्वारा दावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में प्रदर्शितानुसार लाल रंग से प्रदर्शित भूमि गत ख.नं. 989/159 तादादी 18.06 बीघा वादी की पांति में आई तथा हरे रंग से प्रदर्शित गत ख.नं. 990/159 तादादी 05.05 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 01 के पांति में आई तथा पीले रंग से प्रदर्शित गत ख.नं. 991/159 तादादी 13.05 बीघा प्रतिवादीगण सं. 02 ता 08 के पूर्वज स्व. गोपालराम की पांति में आई। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 दावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में लाल, हरे, पीले रंग से प्रदर्शितानुसार ही मौके पर काबिज होकर ऐलानिया तौर पर निर्विघ्न रूप से सतत् काश्त करते चले आ रहे है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 के मध्य नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में लाल, हरे, पीले रंगों से प्रदर्शितानुसार मौके की कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 का परिवार बड़ा हो जाने से एवं राजस्व नक्शा में तरमीम नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में प्रदर्शितानुसार नहीं होने से भविष्य में विवाद होने की सम्भावना होने से वास्तविक बंटवारा के मुताबिक एवं मौके की कब्जा, काश्त के अनुसार नक्शा किश्तवार में लिपिकिय त्रुटि के कारण लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त करवाकर नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में प्रदर्शितानुसार घोषणा करवाकर रिकॉर्ड एवं नक्शा में दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। गत ख.नं. 159 तादादी 36.16 बीघा से हाल खसरा नं. 259 तादादी 09.3100 हैक्टे. गत बन्दोबस्त में कायम किये गये। वादगत कृषि भूमि के विभाजन के पश्चात् गत ख.नं. 989/159 तादादी 18.06 बीघा, 990/159 तादादी 05.05 बीघा तथा 991/159 तादादी 13.05 बीघा कायम किये गये। गत बन्दोबस्त में कायम साबिका खसरा नं. 259 तादादी 09.3100 हैक्टे. से हाल खसरा नम्बर क्रमशः 833/259 तादादी 04.6300 हैक्टे., 835/259 तादादी 03.3500 हैक्टे. तथा 834/259 तादादी 01.3300 हैक्टे. कायम किये गये। वादगत कृषि भूमि हाल ख.नं. 833/259 तादादी 04.6300 हैक्टे. वादी की पांति की भूमि है तथा ख.नं. 835/259 तादादी 03.3500 हैक्टे. भूमि वादी के भाई स्व. गोपालराम के वारीसान प्रतिवादीगण सं. 02 ता 08 की विरास्तन अर्जित खातेदारी हिस्सो के मुताबिक पांति की भूमि है तथा 834/259 तादादी

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

01.3300 हैक्टे. प्रतिवादी सं. 01 की पांति की भूमि होने से वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 के हाल राजस्व अभिलेखो में अभिलेखित रकवा बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन राजस्व नक्शा की तरमीम विभाजन के समय लिपिकीय त्रुटि से इ. सं. 1490 की पुश्त पर गलत हो जाने से वर्तमान नक्शा में भी लिपिकीय त्रुटी को दौहराते हुए गलत तरमीम होने से वर्तमान नक्शा में वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" में लाल रंग से प्रदर्शितानुसार वादी की भूमि का नक्शा तथा हरे रंग से प्रदर्शितानुसार प्रतिवादी सं. 01 की भूमि का नक्शा तथा पीले रंग से प्रदर्शितानुसार प्रतिवादीगण सं. 02 ता 08 की भूमि के नक्शा में दुरूस्ती करवाकर मौके की कब्जा काश्त एवं वास्तविक बंटवारा के मुताबिक नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" के अनुसार वर्तमान नक्शा में दुरूस्ती करवाने का वादी अधिकारी होने से वाद कारण दिनांक 01.01.2024 को वाद कारण उत्पन्न होने पर वादी ने बिनाये दावा हासिल होने से वाद अन्दर मियाद होना कथन करते हुए खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा में दुरूस्ती करवाने के लिए वाद पेश किया।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाद सरिस्ता रिपोर्ट के अवलोकन के दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को स–शुल्क तल्ब किये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 पर विधिवत तामील होने के उपरान्त जरिये अधिवक्ता उपसंजात होकर इकबाल जबाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी डिक्री किये जाने में आपत्ति नहीं होने का कथन किया। प्रतिवादी सं. 09 पर विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दावा में वादी ने प्रतिवादी सं. 10 के हितो के विपरीत कोई अनुतोष नहीं चाहने एवं वादगत कृषि भूमि के नक्शा में दुरूस्ती किये जाने से राज्य हित प्रभावित नहीं होने से प्रतिवादी सं. 10 का जबाब दावा पेश नहीं किये जाने पर जबाब देही बन्द की गई।

प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 ने जबाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" तथा "बी" को मौका स्थित मुताबिक सही होना स्वीकार किया। प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 ने नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" तथा "बी" तथा अनुतोष की जिमनियात को मौका स्थिति के अनुसार सही होना स्वीकृत करते हुए जबाब दावा पेश किया गया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया तथा वादी के दावा को डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई। यानि प्रतिवादीगण सं. 01 व 10 द्वारा वादी के द्वारा वाद का कोई खण्डन नहीं किये जाने से कोई विवाद्यक विरचित नहीं किये गये।

अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादी द्वारा संस्थित वाद में के तथ्यों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा वादी के वाद का किसी भी रूप में खण्डन नहीं किया गया है तथा वादी संस्था द्वारा संस्थित वाद की स्वीकारोक्ति की गई है। इसलिए वादी का वाद प्रतिवादीगण की स्वीकारोक्तियों के आधार पर निर्णय किया जाना न्याय संगत है।

अधिवक्ता वादी ने बहस करते हुए कथन किया कि आदेश 12 नियम 06 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के मुताबिक प्रतिवादीगण की वादी के वाद की स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णित कर डिक्री फरमाया जावे। वादी के वाद को डिक्री किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं होने से दावा डिक्री किये जाने का निवदेन किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 एवं प्रतिवादी सं. 10 की ओर से उपस्थित पेरोकार राज ने अधिवक्ता वादी की बहस का खण्डन नहीं किया तथा वादी का वाद डिक्री करने का निवदेन किया गया। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नाकित न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये:–

1. 2012 (2) DNJ (SC) – 834
2. 2006 (2) DNJ (Raj.) – 803
3. 2005 (1) DNJ (SC) – 304

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (चूरू)

अधिवक्ता वादी द्वारा की गई मौखिक बहस एवं वादी के वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य तथा प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 के इकबाल जबाब दावा का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादीगण सं. 09 व 10 की ओर से जबाब पेश कर कोई खण्डन नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयों से मार्गदर्शन प्राप्त किया तथा विधि का अवलोकन किया। वादी के वाद को स्वीकारोक्ति के आधार पर वादी के पक्ष में निर्णित किये जाने में कोई विधिक बाधा भी नहीं है। रोही मौजा भोजासर बड़ा तह. भानीपुरा में स्थित कृषि भूमि गत ख.नं. 159 तादादी 36.16 बीघा से कायम गत ख.नं. 989/159 तादादी 18.06 बीघा, 990/159 तादादी 05.05 बीघा तथा 991/159 तादादी 13.05 बीघा के नक्शा किश्तवार में मौके की वास्तविक कब्जा काश्त एवं नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में लाल, हरे व पीले रंगो से प्रदर्शितानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 की खातेदारी भूमियों के वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदार, काबिज, काश्तकार है तथा नक्शा एनेक्श्चर "बी" में लाल, हरे व पीले रंगो से प्रदर्शितानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 08 की मौके पर गत बन्दोबस्त में कायम हाल साबिका खसरा नं. 259 तादादी 09.3100 हैक्टे. से हाल खसरा नम्बर क्रमशः 833/259 तादादी 04.6300 हैक्टे., 835/259 तादादी 03.3500 हैक्टे. तथा 834/259 तादादी 01.3300 हैक्टे. के खातेदार, काबिज, काश्तकार है। वादगत कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर क्रमशः 833/259 तादादी 04.6300 हैक्टे., 835/259 तादादी 03.3500 हैक्टे. तथा 834/259 तादादी 01.3300 हैक्टे. के गलत कायम राजस्व नक्शा में नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" के मुताबिक दुरूस्त करके सही तरमीम लाल रंग से प्रदर्शित भूमि वादी एवं हरे रंग से प्रदर्शित भूमि प्रतिवादी सं. 01 तथा पीले रंग से प्रदर्शित भूमि प्रतिवादीगण सं. 02 ता 08 की होने से इस मुताबिक नक्शा में गलत तरमीम को दुरूस्त करके नक्शा किश्तवार में दुरूस्ती करने के लिए वादी का वाद प्रतिवादीगण की स्वीकारोक्ति के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी डिक्री किया जाकर तहसील क्षेत्र भानीपुरा की रोही मौजा भोजासर बड़ा में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर क्रमशः 833/259 तादादी 04.6300 हैक्टे., 835/259 तादादी 03.3500 हैक्टे. तथा 834/259 तादादी 01.3300 हैक्टे. के गलत कायम राजस्व नक्शा में नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" के मुताबिक दुरूस्त करके सही तरमीम लाल रंग से प्रदर्शित भूमि वादी एवं हरे रंग से प्रदर्शित भूमि प्रतिवादी सं. 01 तथा पीले रंग से प्रदर्शित भूमि प्रतिवादीगण सं. 02 ता 08 की भूमि को नक्शा किश्तवार में दुरूस्ती कर अंकित किया जावे। नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" डिक्री का अभिन्न भाग है। प्रतिवादी सं. 10 को आदेशित किया जाता है कि नक्शा किश्तवार में उपर्युक्त रूपेण दुरूस्ती करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(दिव्या) RAS
सहायक कलेक्टर
सादुलशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 16/5/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्या) RAS
सहायक कलेक्टर
सादुलशहर (चूरू)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम सरदारशहर व बइजलास दिव्या आर. ए. एस.

अनुवान यादराम बनाम हेतराम आदि

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए रा. का. अधि. 1955

सहपठित धारा 131, 136 रा. भू–रा.अधि. 1956

राजस्व मूल वाद संख्या 10/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोपाल कृष्ण सिहाग मिनजानिब मुदई व श्री अजय कुमार सारण, पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वाद वादी डिक्री किया जाकर तहसील क्षेत्र भानीपुरा की रोही मौजा भोजासर बड़ा में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर क्रमशः 833/259 तादादी 04.6300 हैक्टे., 835/259 तादादी 03.3500 हैक्टे. तथा 834/259 तादादी 01.3300 हैक्टे. के गलत कायम राजस्व नक्शा में नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" के मुताबिक दुरूस्त करके सही तरमीम लाल रंग से प्रदर्शित भूमि वादी एवं हरे रंग से प्रदर्शित भूमि प्रतिवादी सं. 01 तथा पीले रंग से प्रदर्शित भूमि प्रतिवादीगण सं. 02 ता 08 की भूमि को नक्शा किश्तवार में दुरूस्ती कर अंकित किया जावे। नजरी नक्शा एनेक्श्चर "बी" डिक्री का अभिन्न भाग है। प्रतिवादी सं. 10 को आदेशित किया जाता है कि नक्शा किश्तवार में उपर्युक्त रूपेण दुरूस्ती करे।

.....

.....बीज ..... मुबलिग .....

.....बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ..... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 05 सन् 2025 को जारी की गई।

मोहर

दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक	00	00
मुतफर्रिक	04	00			
मिजान	09	00	मिजान	02	00